मास्टर परिपत्र सं.37
(अद्यतन सितंबर 2019)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.ई(एनजी)I/2019/पीएम 1/19/मास्टर परिपत्र नई दिल्ली, दिनांक: 23 09.2019

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां और अन्य।
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: अराजपत्रित कर्मचारियों (ग्रुप 'सी') की अचयन पदों पर पदोन्नति - नीति और प्रक्रिया (मास्टर परिपत्र सं.37)

इस समय अराजपत्रित कर्मचारियों (ग्रुप 'सी') के अचयन पदों पर पदोन्नति से संबंधित आदेश भारतीय रेल स्थापना नियमावली, 1989 के अध्याय-।। और समय-समय पर जारी किए गए अधिकांश कार्यालय परिपत्रों/पत्रों तथा 1991 में जारी किए गए मास्टर परिपत्र सं.37 में अंतर्विष्ट हैं। इस विषय पर अब तक जारी किए गए अनुदेशों के प्रावधानों को समाविष्ट करते हुए मास्टर परिपत्र सं.37 को निम्नानुसार अद्यतन किया गया है:

2. **पदोन्नति:**

(i) पदोन्नति में शामिल है निचले ग्रेड से उच्चतर ग्रेड में, एक वर्ग से दूसरे वर्ग में, एक समूह से दूसरे समूह में पदोन्नति। (भारतीय रेल स्थापना नियमावली, 1989 का पैरा 211)
(ii) 'अचयन पद' वे पद, ग्रेड या वर्ग हैं, जिन्हें 'चयन पद' घोषित नहीं किया गया है।
(iii) पदों को 'चयन' या 'अचयन पदों' के रूप में घोषित करना- सेवा की आवश्यकताओं के आधार पर पदोन्नति के प्रयोजनार्थ पदों को रेलवे बोर्ड द्वारा चयन या अचयन पदों के रूप में घोषित किया जाता है।

किसी पद को भरने के लिए किसी रेल कर्मचारी को तभी पदोन्नत किया जाए यदि उसे उस पद से संबद्ध कर्त्तव्यों को निष्पादित करने के योग्य समझा जाए। किसी पद को धारण करने के योग्य समझे जाने वाले रेल कर्मचारी के लिए पूर्व शर्तों के रूप में रेलवे बोर्ड, महाप्रबंधक या विभागाध्यक्ष या मंडल रेल प्रबंधक विनिर्दिष्ट विभागीय या अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण करना निर्धारित कर सकते हैं, ऐसे नियमों को संबंधित कर्मचारियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाना चाहिए। (भारतीय रेल स्थापना नियमावली, 1989 का पैरा 213)

जब तक विशिष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, पदोन्नति साम्प्रदायिक अथवा जातिगत भावनाओं का विचार किए बिना की जाएगी।

2.1 **नि:शक्त व्यक्तियों की पदोन्नति:** पदोन्नति के मामले में केवल शारीरिक निशक्ता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह नियम शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की भर्ती के लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में खुले बाजार से भर्ती किए गए कर्मचारियों की कोटियों तथा उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो सेवाकाल के दौरान निशक्त हुए हैं और अध्याय-XIII में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उपयुक्त वैकल्पिक नियोजन में आमेलित किए गए हैं, ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए उनसे उच्चतर ग्रेड के पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित किए जाने वाले चयन/उपयुक्तता/व्यवसाय परीक्षा में शामिल अन्य उम्मीदवारों के साथ उनकी पात्रता एवं उपयोगिता के आधार पर उनकी बारी आने पर विचार किया जाएगा।

3. **अचयन पदों को भरने की प्रक्रिया:**

3.1 अचयन पद वरिष्ठतम उपयुक्त रेल कर्मचारी की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। उपयुक्तता चाहे किसी एक कर्मचारी या रेल कर्मचारियों के समूह की हो, पदों को भरने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा के रिकॉर्ड और/या विभागीय परीक्षा, यदि आवश्यक हो, के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

3.2 किसी वरिष्ठ रेल कर्मचारी की उपेक्षा तभी की जाएगी जब उसे प्रश्नगत पद को धारण करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो।

3.3 जब अचयन पद को भरने के लिए किसी वरिष्ठ रेल कर्मचारी की उपेक्षा की जाए तब पदोन्नति करने वाला प्राधिकारी संक्षेप में ऐसे अधिक्रमण के कारणों का उल्लेख करेगा।

(ई.48/आरसी1/18/3 दि. 21.11.1953 (मद 2), ई(56)/पीएम1/12/3 दि. 23.03.56, ई(एनजी)I/80/पीएम1/317 दि. 30.12.1980 और आईआरईएम, 1989 का पैरा 214)

3.4 यदि उपयुक्तता के भाग के रूप में लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है तो यह बोर्ड के दिनांक 14.12.2018 के पत्र सं.ई(एनजी)I/2018/पीएम1/4 (आरबीई सं.196/2018) और दिनांक 14.06.2019 (आरबीई सं.97/2019) के तहत जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार शत-प्रतिशत वस्तुनिष्ठ स्वरूप पर आधारित होनी चाहिए।

4. **रिक्तियों का आकलन:**

(i) विचार के लिए बुलाए जाने वाले पात्र कर्मचारियों की संख्या, वर्तमान रिक्तियों की संख्या तथा अगले एक वर्ष के दौरान सामान्य सीजन (अर्थात सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता), स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने के लिए स्वीकार होने वाले अनुरोधों, चैनल में उच्चतर ग्रेड में रिक्तियों, जिनको भरने के फलस्वरुप प्रस्तावित प्रवरण सूची से परिणामी नियुक्तियां करने की आवश्यकता होगी, अन्य यूनिटों को प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अनुमोदित कर्मचारियों, संवर्ग बाह्य पदों के लिए पहले से ही पैनल में शामिल किए गए कर्मचारियों, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले से मंजूर अतिरिक्त पदों के सृजन और अन्य रेलों/मंडलों को स्थानांतरण पर जाने वाले कर्मचारियों की प्रत्याशित संख्या के बराबर होगी। व्यावसायिक परीक्षा द्वारा पदोन्नति के मामले में रिक्तियों की गणना मौजूदा रिक्तियां जमा अगले एक वर्ष के दौरान होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों के आधार पर की जाए।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 17.02.1998 का पत्र सं.ई(एनजी)I/97/पीएम1/31 और दिनांक 07.12.2018 का सं.ई(एनजी)I/2018/पीएम1/65)

(ii) यदि, उपयुक्त उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो इस कमी को पूरा करने के लिए इस क्रम में अगले उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जाए और इसी प्रकार से क्रम को आगे बढ़ाया जाए, परन्तु यह समस्त प्रक्रिया छह माह के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए। यदि यह अवधि बढ़ती है तो इसे नई उपयुक्तता परीक्षा माना जाएगा और जो पिछली परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हों, उन पर पुन: विचार किया जाना चाहिए।

(iii) जहां पर गैर-चयनित पदों को विभिन्न कोटियों के कर्मचारियों से भरा जाता है, में प्रत्येक पात्र कोटि से भेजे जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या के मामले में कोई पक्के नियम निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में जहां पर पदों को कोटा के आधार पर भरा जाना है, में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बुलाए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या के भीतर प्रत्येक कोटि का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। केवल उपयुक्तता परीक्षा को पास करने वाले कर्मचारियों को ही चयन सूची में ही रखा जाना चाहिए। इस परीक्षा में अर्हता न पाने वाले कर्मचारियों को केवल कोटा भरने के लिए नहीं रखा जाना चाहिए।

5. <u>पात्रता शर्तें (एकदम निचले ग्रेड में न्यूनतम दो वर्ष की सेवाओं की शर्त)</u>

5.1 ग्रुप 'सी' में पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु सेवा की न्यूनतम अवधि, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या कर्मचारी आरक्षित कोटि से संबंध रखता है अथवा नहीं, एकदम निचले ग्रेड में दो वर्ष होनी चाहिए।

5.2 इस प्रयोजन के लिए सेवा नियमित आधार पर की गई सेवा होगी। बहरहाल, इस प्रयोजन के लिए तदर्थ आधार पर की गई सेवा को तब ही लिया जाना चाहिए, जब वह बिना ब्रेक के नियमित रूप से की गई हो।

5.3 वास्तविक पदोन्नति करते समय दो वर्ष की न्यूनतम की शर्त को पूरा किया जाना चाहिए। अत: संबंधित निचले ग्रेड में नियमित कर्मचारी पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जा सकता है, परन्तु पैनलबद्ध व्यक्ति को केवल वास्तविक रूप से तभी पदोन्नत किया जा सकता है, जब उसने एकदम निचले ग्रेड में दो वर्ष की सेवा पूरी की हो। तदनुसार, सभी उपयुक्तता सूचियों, जिनमें उन उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिन्होंने उपयुक्तता का विनिर्णय करते समय निचले ग्रेड में दो वर्षों की सेवा पूरी नहीं की है, में इस आशय का नोट लगाया जाना चाहिए।

5.4 जहां, किसी विशिष्ट कोटि में पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्त के रूप में निचले ग्रेड में निर्धारित की गई सेवा की अधिकतम अवधि ही लागू रहेगी।

5.5 उपर्युक्त कार्यप्रणाली के आधार पर यदि कनिष्ठ कर्मचारी अगले संबंधित उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र है, तो उसका वरिष्ठ कर्मचारी भी पदोन्नति के लिए पात्र होगा, भले ही उसने एकदम निचले ग्रेड में दो वर्ष की कुल सेवा पूरी न की हो।

5.6 उन मामलों, जिनमें स्थगन आदेश अथवा न्यायालय के आदेश के कारण पदोन्नति नहीं की जा सकती है और इसी बीच कर्मचारी उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र हो जाता है परन्तु उसे

एकदम निचले ग्रेड में दो वर्ष की सेवा के पूरा न करने के परिणामस्वरूप पदोन्नत नहीं किया जा सकता, में निम्नलिखित के अनुमोदन से छूट दी जा सकती है:-

(i) मंडलीय नियंत्रित पदों के मामले में मंडल रेल प्रबंधक;
(ii) मुख्यालय द्वारा नियंत्रित पदों के मामले में संबंधित विभाग के नामित एसए ग्रेड अधिकारी (विभाग के पीएचओडी द्वारा स्थायी नामांकन किया जाएगा)
(iii) अन्य मामलों में संबंधित एसए ग्रेड नियंत्रित अधिकारी

5.7 उपर्युक्त के अलावा, कर्मचारी को शैक्षणिक अर्हता आदि और अन्य शर्तें जहां-कहीं उस पद के लिए निर्धारित हो, जिसके लिए उपयुक्तता परीक्षा होती है, भी पूरी करनी होगी।

5.8 यदि किसी व्यक्ति का चयन होता है और उसे समान ग्रेड के पद पर अन्य संवर्ग में नियुक्त किया जाता है, जो मूल संवर्ग में उसके द्वारा धारित हो और उसने नए संवर्ग में आगे पदोन्नति की मांग की हो, तो उसे पदोन्नति से पूर्व नए संवर्ग में दो वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी।

5.9 यदि पद को एकदम निचले ग्रेड में दो वर्ष की सेवा पूरी न करने वाले उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के परिणामस्वरूप रिक्त रखा जाता है तो उन पदों को डाउनग्रेड करके परिचालित किया जाना चाहिए।

5.10 एकदम निचले ग्रेड में दो वर्ष की सेवा शर्त, अल्प अवधि रिक्तियों पर स्थानीय स्थानापन्न/तदर्थ पदोन्नति के लिए भी लागू होगी।

[दिनांक 31.05.1982, 22.09.1982 एवं 26.05.1984 सं.ई(एनजी)I/75/पीएम1/44, दिनांक 13.11.1985 का ई(एनजी)I/85/पीएम1/14 (आरएईसी-78 (आरबीई 296/1985), दिनांक 19.02.1987 का ई(एनजी)I/85/पीएम1/13 (आरआरसी) (आरबीई 28/1987), दिनांक 04.11.1987, 23.03.1989 (आरबीई 83/1989) और दिनांक 13.02.1990 (आरबीई 20/1990)]

6. <u>उपयुक्तता परीक्षा, आमंत्रित किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या, निरंतरता/अनुपूरक परीक्षा, दो उपयुक्तता परिक्षाओं आदि के बीच अंतर</u>

6.1 उपयुक्तता परीक्षा एक वर्ष के बाद ही होनी चाहिए। सभी पात्र कर्मचारी, जिनमें पिछली परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण उम्मीदवार शामिल हैं, को आमंत्रित किया जाना चाहिए। परिणाम की घोषणा की तारीख से एक वर्ष की अवधि की गणना की जाती है। विचार के लिए आमंत्रित पात्र कर्मचारियों की संख्या उपर्युक्त पैरा 4(i) के अनुसार होनी चाहिए।

6.2 वह कर्मचारी, जिसने उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो उसे परीक्षा के लिए दोबारा नहीं बुलाया जाना चाहिए और वह रिक्ति के उपलब्ध होने पर पदोन्नति के लिए पात्र होना चाहिए।

6.3 उपयुक्तता परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए किसी कर्मचारी पर एक वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् ही नई उपयुक्तता परीक्षा के लिए विचार किया जाना चाहिए और अनुपूरक उपयुक्तता परीक्षा अथवा उपयुक्तता परीक्षा, जो पिछली परीक्षा के क्रम में हुई हो, जिसे छह माह के भीतर आयोजित किया जाना है, के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

6.4 यदि कोई व्यक्ति उपयुक्तता परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु उसे एक वर्ष के अंतराल के पश्चात् उपयुक्तता परीक्षा के लिए फिर से आमंत्रित किया जाता है और वह उसमें उत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे उसके कनिष्ठ कर्मचारी, जिसने उपयुक्तता परीक्षा पहले पास कर ली हो, परंतु रिक्ति के अभाव में पदोन्नति के लिए प्रतीक्षा कर रहा हो, से पहले पदोन्नति में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

6.5 यदि किसी कर्मचारी को उपयुक्तता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् पदोन्नति दी जाती है और उसके बाद अनुपयुक्तता के आधार पर उसे पदावनत किया जाता है तो उसे समय सीमा पर ध्यान दिए बिना, उक्त पद पर पदोन्नति के लिए हुई अगली उपयुक्तता परीक्षा में पुन: अर्हता प्राप्त करने तक, उक्त पद पर आगे पदोन्नत नहीं किया जाना चाहिए।

6.6 कोई कर्मचारी, जो अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों जैसे लंबी बीमारी आदि के कारण एक वर्ष की अवधि के भीतर उपयुक्तता परीक्षा देने में असमर्थ है तो उसे ड्यूटी पर वापस लौटने के पश्चात् समुचित अवधि के भीतर अनुपूरक उपयुक्तता परीक्षा देनी चाहिए और पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए जाने पर उसे पूर्व में पदोन्नत हुए उसके कनिष्ठ कर्मचारियों की तुलना में प्रोफार्मा वरिष्ठता स्थिति दी जानी चाहिए।

6.7 एक बार किसी कर्मचारी को उपयुक्तता सूची में रख दिया गया हो तो उसे प्रतिकूल गोपनीय रिपोर्ट प्राप्त होने के कारण पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल, बोर्ड के दिनांक 09.06.1965 के पत्र सं. ई(डीएंडए)65 आरजी 6-24 और दिनांक 30.05.1966 के पत्र सं. ई(डीएंडए)61 आरजी 6/20 **(अनुलग्नक-I एवं II)**, के अनुसार, जो यथोचित परिवर्तनों सहित गैर-चयन पदों पर पदोन्नति के लिए भी लागू है, प्रशासन, पदोन्नति के पश्चात् कर्मचारी का कार्य संतोषजनक न पाए जाने के मामले में सामान्य अनुपयुक्तता के आधार पर उसे पदावनत किए जाने के लिए मुक्त है।

6.8 बहरहाल, उपयुक्त पाए जाने/घोषित किए जाने के पश्चात् पदोन्नत किए गए कर्मचारी को अनुशासन एवं अपील नियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना 18 माह के पश्चात् असंतोषजनक कार्य के लिए पदावनत नहीं किया जा सकता है।

नोट:

बहरहाल, महाप्रबंधक, अपने वैयक्तिक निर्णय का उपयोग करते हुए ऊपर उल्लिखित 18 माह की समयसीमा में छूट लेते हुए विशेष परिस्थितियों में उच्च पद में नियमित रूप से स्थानापन्न कर्मचारी को पदावनत कर सकता है।

6.9 अंसतोषजनक कार्य निष्पादन के परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्ति को पदावनत करने के लिए निम्नलिखित पद्धति विकसित की गई है, ऐसे अंतोषजनक कार्य निष्पादन का विनिर्णय निम्न से किया जा रहा है:-

कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, यदि पहले से लिखी गई हो; और

(i) यदि कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्ट न लिखी गई हो तो विशेष रिपोर्ट मंगवाकर।

(ii) पदधारी को अंतोषजनक निष्पादन के लिए चेतावनी देने और चेतावनी के पश्चात् उसके बाद के निष्पादन पर विशेष ध्यान देने के पश्चात् ही पदावनत किया जाना चाहिए।

(iii) मंडलीय नियंत्रित पदों के लिए मंडल में मंडल रेल प्रबंधक के स्तर पर और मुख्यालय नियंत्रित पदों के लिए संबंधित विभाग के मुखिया द्वारा ऐसी पदावनति का निर्णय लिया जाना चाहिए।

(iv) उन मामलों में जहां उक्त कार्रवाई की गई है, संबंधित रेल कर्मचारी को उसकी पुनःपदोन्नति से पहले अनुवर्ती उपयुक्तता परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा।

नोट:

1. उपर्युक्त उप-पैराग्राफ 6.8 और 6.9 में उल्लिखित प्रक्रिया उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी, जिन्होंने स्थानापन्न पद पर उपयुक्त पाये जाने/घोषित किए जाने के आधार पर आदर्शनिष्ठ अधिकार प्राप्त कर लिया है।
2. उक्त प्रक्रिया उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जो तदर्थ आधार पर अंतःकालीन व्यवस्था पर स्थानापन्न आधार पर कार्यरत हैं और उन मामलों पर भी लागू नहीं होंगी जहां विधिवत चयनित कर्मचारियों को पदोन्नति की कार्यवाहियों के रद्द होने या वरीयता में गलती में सुधार करने आदि के कारण 18 माह के अंतराल के बाद पदावनत किया जाना है।

6.10 जब भी किसी कोटि में उच्चतर ग्रेड गैर-चयन पद पर पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है, तो प्रश्न पत्र बोर्ड के दिनांक 14.06.2019 के पत्र सं.ई(एनजी)I/2018/पीएम 1/4 के स्पष्टीकरण अनुदेशों के साथ पठित दिनांक 14.12.2018 के समसंख्यक पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा।

6.11 जब भी उपयुक्तता परीक्षा आयोजित की जाए, उसमें यात्री सुविधाओं के प्रावधान और अनुरक्षण से संबंधित कर्मचारियों की कोटियों में निरीक्षक आदि के पद पर पदोन्नति की परीक्षाओं में जहां तक संभव हो 'यात्री सुविधाएं' विषय से संबंधित प्रश्न भी होने चाहिए। क्षेत्रीय रेलों द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट कोटियां निर्धारित की जाएं।

ई(एनजी)54/पीएम/1/35 दि. 10.10.60, 13.4.61, 3.10.61
ई(डी एंड ए)65 आरजी 6-24 दि. 9.6.65
ई(डी एंड ए)61 आरजी 6-20 दि. 30.5.66
ई(डी एंड ए)65 आरजी 6-24 दि. 20.11.66
ई(एनजी)66/पीएम/1/98 दि. 18.2.67, 13.10.67, 28.7.70
ई(एनजी)-1/72/पीएम/1/55 दि. 29.1.1974
ई(एनजी)-1/73/पीएम/1/214 दि. 8.11.1973
ई(एनजी)-1/76/पीएम/1/21 दि. 15.1.1980
ई(एनजी)-1/76/पीएम/1/122 दि. 26.6.1980
ई(एनजी)-1/82/पीएम/1/68 दि. 28.4.1982
ई(डी एंड ए)85 आरजी 6-9 दि. 20.4.1985
ई(एनजी)-1/87/पीएम/1/21 दि. 14.12.1987 (आरबीई 307/1987)
हिंदी-87/ओएल-1/10/3 दिनांक 3.11.1988
ई(एनजी)-1/90/पीएम/1/36 दि. 19.12.1990 (आरबीई 236/1990)
ई(एनजी)-1/97/पीएम/1/31 दि. 17.2.1998
ई(एनजी)-1/2018/पीएम/1/4 दि. 14.12.2018 एवं 14.06.2019

7. <u>उपयुक्तता परीक्षा/सूची के लिए अभ्यावेदन:</u>

7.1 एक बार अनुमोदित की गई उपयुक्तता सूची को आमतौर पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए। यदि उपयुक्तता सूची की घोषणा के बाद, प्रक्रियागत अनियमितताएँ अथवा अन्य दोष पाये जाते हैं और ऐसी सूची को रद्द या उसमें संशोधन करना आवश्यक समझा जाता है, तो इस उपयुक्तता सूची को अनुमोदित करने वाले अधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करके किया जाए।

7.2 इससे संबंधित अभ्यावेदनों, यदि कोई हों, को सूची घोषित करने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाए। बहरहाल, सूची का अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी अथवा उच्चतर प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि कोई अनियमितता हुई है और इससे कुछ कर्मचारियों को कठिनाई हुई है।

8. <u>उच्चतर ग्रेड के लिए पैनलबद्ध किए जाने के परिणामस्वरूप प्रोफॉर्मा पदोन्नति:</u>

यदि किसी कर्मचारी का उच्च ग्रेड चयन पद में चयन किया जाता है, तो उसे एकदम अगले अचयन मध्यवर्ती ग्रेड में प्रोफॉर्मा पद तभी दिया जाएगा यदि चयन प्रक्रिया द्वारा उच्च ग्रेड के लिए योग्य होने के नाते स्वीकृत वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के अनुसार ऐसा स्तर देय हो।

बशर्ते मध्यवर्ती कुशल ग्रेड में प्रोफार्मा पदोन्नति का लाभ कुशल ग्रेड में किसी कारीगर, जो सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा/प्रशिक्षण/अप्रेंटिसशिप के माध्यम से 5000-8000 रु. के वेतनमान में जूनियर इंजीनियर ग्रेड-II के रूप में आमेलन के लिए मध्यवर्ती अप्रेंटिस के रूप में चुना गया है, उससे एकदम निचले जूनियर की पदोन्नति की वास्तविक तारीख के संदर्भ में देय होगा, लेकिन उसे निर्धारित व्यावसायिक परीक्षा पास करनी होगी, जिसके लिए उसे संगत कुशल ग्रेड में उसकी वरिष्ठता के अनुसार बुलाया जाएगा।
(ई(एनजी)56/पीएम 1/36 दिनांक 22.01.1960 और पैरा 222(ख), अध्याय-II, खंड-ख, आईआरईएम-1989, ई(एनजी)I-97/पीएम7/9 दिनांक 10.12.98 और 10.06.99, एसीएस सं.81).

9. <u>पदोन्नति से इंकार के परिणाम:</u>

9.1 एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरण पर पदोन्नति से इंकार करने वाले कर्मचारी के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जा सकता है:-

(क) संबंधित कर्मचारी को लिखित में देना होगा कि वे इस शर्त को मानते हुए कि वे एक वर्ष की अवधि के लिए उस पद पर पदोन्नति के हकदार नहीं होंगे इस पदोन्नति को अस्वीकार करते हैं। कुछ अपरिहार्य घरेलू कारणों के कारण एक वर्ष की अवधि के लिए पदोन्नति से मना करने वाले कर्मचारी को उस वर्ष के लिए स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

(ख) एक वर्ष की अवधि के बाद भी यदि कर्मचारी पदोन्नति से इंकार करता है, तो उसका नाम उपयुक्तता सूची से निकाल दिया जाएगा और उन्हें उस पद पर पदोन्नति से पहले पुनः उपयुक्तता परीक्षा देनी होगी। ऐसे मामलों में, रेल प्रशासन को आवश्यक लगने पर वे उस कर्मचारी का स्थानांतरण कर सकते हैं।

(ग) पदोन्नति के लिए इंकार करने वाले कर्मचारी को उसी सापेक्ष वरिष्ठता पर ध्यान दिये बिना उनको पदोन्नति के इंकार करने की अनुमति देने की अवधि के दौरान पदोन्नत हुए सभी कर्मचारी से जूनियर रैंक दिया जाएगा। बहरहाल, बाद में नई उपयुक्तता परीक्षा आयोजित होने के परिणामस्वरूप वह दंड की एक वर्ष की अवधि के दौरान पदोन्नत हुए अन्य कर्मचारियों से अपनी वरिष्ठता नहीं खोएँगे।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 14.10.1966 का पत्र सं.ई(एनजी)I/66/एसआर 6/41 और दिनांक 19.11.1998 के पत्र सं.ई(एनजी)I/97/एसआर-6/27 के साथ पठित मामला सं.86/सीआर/आईआरईएम/अध्याय-II).

(घ) यह प्रशासन की ज़िम्मेदारी होगी कि वह कुछ घरेलू समस्याओं अथवा अन्य मानवीय विचारों के कारण बहुत कम अवधि के लिए पदोन्नति के स्थगन के लिए कर्मचारियों के अनुरोध पर विचार करे या न करें। संबंधित कर्मचारी को रिक्ति होने पर उस अवधि के बाद पदोन्नत किया जाए। उनकी वरिष्ठता उनके पदोन्नति की तारीख से होगी।

9.2 उसी स्टेशन पर पदोन्नत किए गए कर्मचारी ऐसी पदोन्नति के लिए इंकार नहीं कर सकते। उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति से अल्पावधि अथवा लंबी अवधि के लिए इंकार को कर्तव्य से इंकार समझा जाएगा, जिसमें अवज्ञाकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियम के तहत अपरिहार्य रूप से कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल, अच्छे और पर्याप्त कारणों के लिए अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई केवल तदर्थ पदोन्नति के लिए इंकार करने पर की जाएगी और केवल उन मामलों में जहां ऐसे इंकार से गाड़ी संचालन प्रभावित होगा। रेलवे बोर्ड के अनुदेशों में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तें जैसे एक वर्ष के लिए रोक आदि लागू होंगी।

9.3 सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेंगे कि किन मामलों में डी एंड ए कार्रवाई आवश्यक है और किन मामलों में कर्मचारी द्वारा दी गई कठिनाइयाँ और कारण वास्तविक हैं। परवर्ती मामलों में, सक्षम अधिकारी हमेशा कर्मचारी का अनुरोध स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें मौजूदा ग्रेड में जारी रहने की अनुमति दे सकते हैं।

9.4 उस कर्मचारी के मामले में, जो पदोन्नत होने पर न तो लिखित में असहमति देता है और न ही कार्यभार संभालता है, तो इसे पदोन्नति से इंकार करना समझा जाए और तदनुसार कार्रवाई की जाए।

9.5 पदोन्नति से इंकार विशिष्ट स्टेशन पर विशिष्ट पद से नहीं बल्कि किसी भी स्टेशन पर विशेष ग्रेड से संबंधित है।

9.6 पैनलबद्ध एपेंडिक्स-III द्वारा अनुभाग अधिकारी (लेखा)/भंडार लेखा निरीक्षक/चल निरीक्षक (लेखा) के रूप में पदोन्नति के लिए इंकार करने पर, अर्हक कर्मचारी को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा:

(i) संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रत्येक अवसर पर पदोन्नति से इंकार करने पर एक वर्ष के लिए पदोन्नति पर रोक लगाई जाएगी;

(ii) एक वर्ष समाप्त होने के बाद उपलब्ध रिक्तियों के लिए उन पर विचार किया जाएगा;

(iii) उन्हें पदोन्नति की तारीख से वरिष्ठता दी जाएगी। अन्य शब्दों में, उन्हें उसी पैनल से रोके जाने और उसके बाद के पैनल की अवधि में हुए पदोन्नत कर्मचारियों से कनिष्ठ रखा जाएगा।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 13.02.1992 का पत्र सं.ई(एनजी)1/91/पीएम/9/7-एसीएस सं.061)

9.7 पदोन्नत होने के बाद ग्रेड में पदावनति मांगने के मामले में पदोन्नति से इंकार करने पर दंड लागू होता है।

ई(एनजी)64/पीएम1/66 दिनांक 21.01.1965
ई(एनजी)64/पीएम1/66 दिनांक 14.10.1966 व 04.05.1969
ई(एनजी)1/71/पीएम1/106 दिनांक 15.12.1971
ई(एनजी)1/73/पीएम1/120 दिनांक 2.2.1974, 4.9.74 व 11.9.74
ई(एनजी)1/76/पीएम1/90 दिनांक 22.9.1978
ई(एनजी)1/79/पीएम1/147 दिनांक 31.1.1981
ई(एनजी)1/80/पीएम1/133 दिनांक 5.7.1980
ई(एनजी)1/88/पीएम1/6 दिनांक 19.12.1989 (आरबीई 311/1989)

10. **तदर्थ पदोन्नति**:

10.1 सरकार तदर्थ पदोन्नतियां करने के विरुद्ध है और ऐसा लंबे समय से चला आ रहा है जिसके परिणामस्वरूप पदावनत किए जाने पर कर्मचारियों को कठिनाई होती है।

10.2 आमतौर पर नियमित किस्म की रिक्तियों में तदर्थ पदोन्नति नहीं की जाती है। न्यायालय आदि से स्थगन आदेश आदि जैसे आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी मामले में ऐसी व्यवस्थाओं को 3 से 4 माह से अधिक अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

10.3 तदर्थ व्यवस्थाएं आमतौर पर 4 माह के बाद समाप्त हो जाती हैं। सीपीओ द्वारा वैयक्तिक रूप से आदेश के बाद ही इन्हें जारी रखा जा सकता है जो उपयुक्तता परीक्षा को अंतिम रूप न देने के कारण निर्धारित करेंगे और उसके बाद न्यूनतम अवधि के लिए तदर्थ पदोन्नति का प्राधिकृत ढंग से विस्तार करेंगे। उपयुक्तता परीक्षा में विलंब के कारणों का उल्लेख किया जाए और इन्हें महाप्रबंधक के अवलोकन और स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाए।

10.4 वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी को 3 माह की अवधि के बाद इन पदोन्नतियों का वेतन तब तक क्लियर नहीं करना चाहिए जब तक इसकी मंजूरी के लिए सीपीओ का वैयक्तिक अनुमोदन प्राप्त न हो।

10.5 किसी पद को तदर्थ आधार पर भरने की आवश्यकता हो तो आमतौर पर वरीयता सूची में वरिष्ठतम कर्मचारियों को ही पदोन्नत किया जाना चाहिए जब तक कि पदोन्नति आदेश देने वाले प्राधिकारी उसे पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त न समझें। स्टेशन परिवर्तन के मामलों में अपवाद हो सकता है और स्थानांतरण से जुड़ी अल्पकालिक पदोन्नति वांछनीय नहीं है। यह भी मंशा नहीं है कि उपयुक्तता परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर्मचारियों की तदर्थ आधार पर पदोन्नति पर भी रोक लगा दी जाए।

10.6 किसी भी मामले में दूसरी तदर्थ पदोन्नति नहीं दी जानी चाहिए।

10.7 तदर्थ पदोन्न्तियों के कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैं:

(क) उपयुक्तता सूची न होना;
(ख) भर्ती/पदोन्नति नियमों में संशोधन/विचार किया जा रहा है; और
(ग) वरीयता सूची में संशोधन।

(क) जैसा कि ऊपर बताया गया है तदर्थ पदोन्नति 3 से 4 माह से अधिक की अवधि के लिए नहीं की जानी चाहिए। इसकी अवधि बढ़ाने के लिए सीपीओ का वैयक्तिक अनुमोदन आवश्यक है और उपयुक्तता परीक्षा को अंतिम रूप देने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

तदर्थ पदोन्नति किए जाने के मामले में पदोन्नति अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए कि संबंधित कर्मचारी को नियमित पदोन्नति के लिए अनुमोदित नहीं किया गया है और यह कि तदर्थ पदोन्नति उसकी नियमित पदोन्नति का अधिकार नहीं है तथा यह कि उसकी पदोन्नति वेतन आहरित करने के प्रयोजनार्थ अनंतिम है।

(ख) आमतौर पर नियम भावी प्रभाव से लागू होते हैं। अत: पदों को उस समय लागू भर्ती नियमों में निर्धारित अर्हता शर्तों के अनुरूप चयन के जरिए भरा जाता है।

(ग) जहां-कहीं भी वरीयता में विवाद हो, वहां मौजूदा वरीयता के अनुसार चयन किए जाएं। मामलों के न्यायालय/अधिकरण में लंबित होने पर मौजूदा वरीयता सूची के आधार पर चयन को अंतिम रूप दिया जाए परन्तु पदोन्नति करते समय यह उल्लेख किया जाए कि यह पदोन्नति अनंतिम है जो न्यायालय/अधिकरण के अंतिम आदेश पर निर्भर करती है।

ई.55/पीएम1/19/3 दिनांक 11.06.1955
ई(एनजी)1/73/पीएम1/222 दिनांक 23.2.1974
ई(एनजी)1/79/पीएम1/105 दिनांक 26.4.1979
ई(एनजी)1/80/पीएम1/125 दिनांक 11/14.8.1980
ई(एनजी)1/81/पीएम1/221 दिनांक 28.6.1982
ई(एनजी)1/85/पीएम5/3 दिनांक 28.8.1985
ई(एनजी)1/87/पीएम5/2 दिनांक 21.8.1987 और
ई(एनजी)1/88/पीएम1/10 दिनांक 14.12.1989 (आरबीई 309/1989)

11. गलत पदोन्नतियाँ:-

11.1 कई बार प्रशासनिक गलतियों के कारण कर्मचारियों की उच्चतर ग्रेडों पर पदोन्नति के लिए उपेक्षा की जाती है। यह पात्र कर्मचारियों की सापेक्ष वरिष्ठता के गलत समनुदेशय या पदोन्नति के आदेश देते समय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पूरे तथ्य न रखे जाने के कारण हो सकता है। मोटे तौर पर यह दो प्रकार की हो सकती है:

(क) जहां प्रशासनिक गलती के कारण एक व्यक्ति को पदोन्नत ही नहीं किया गया है; और
(ख) जहां एक व्यक्ति को पदोन्नत किया गया है लेकिन उस तारीख से नहीं जिससे प्रशासनिक गलती न होने पर उसे पदोन्नत किया जाता।

11.2 ऐसे प्रत्येक मामले का निपटान उसके गुणवगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिन कर्मचारियों को प्रशासनिक गलती के कारण पदोन्नति नहीं मिली है, पदोन्नति दिए जाने पर, पदोन्नति की तारीख पर ध्यान दिए बिना पहले से पदोन्नत उनके निष्ठों की तुलना में सही वरिष्ठता प्रदान की जानी चाहिए। पदोन्नति पर सही समय पर उच्च ग्रेड में वेतन उपचारार्थ नियत किया जाना चाहिए। बहरहाल कोई बकाया देय नहीं होंगे क्योंकि उसने उच्चतर पदों के उत्तरदायित्वों का वास्तव में वहन नहीं किया है।

11.3 रेल कर्मचारी के मूल या स्थानापन्न पद पर तथ्यात्मक भूल के कारण पदोन्नति या नियुक्ति की अधिसूचना के आदेश तत्काल रद्द कर दिए जाने चाहिए और रेल कर्मचारी को ऐसे रद्दकरण के तत्काल बाद उसी पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए जिस पर वह उस हालत में रहा होता यदि पदोन्नति या नियुक्ति के गलत आदेश न हुए होते।

11.4 रेल कर्मचारी के गलती से पदोन्नत किए गए पद पर की गई सेवा को वेतनवृद्धि के प्रयोजन के लिए या उस ग्रेड में किसी अन्य प्रयोजन के लिए गणना नहीं करनी चाहिए।

11.5 गलती से की गई परिणामी पदोन्नतियों/नियुक्तियों को उक्त के अनुसार विनियमित किए जाने की आवश्यकता है।

11.6 किसी विशेष रेल कर्मचारी की पदोन्नति/नियुक्ति गलत थी या नहीं, के प्रश्न पर निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी की तुलना में उससे उच्च प्राधिकारी द्वारा लिया जाना चाहिए।

11.7 गलती से की गई ऐसी पदोन्नति/नियुक्ति के लिए उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

12. रेल विद्युतीकरण या निर्माण परियोजनाओं में सेवा के दौरान उत्तीर्ण उपयुक्तता परीक्षाओं के आधार पर ओपन लाइन पर उपयुक्तता परीक्षा से छूट:

जिन कर्मचारियों ने निर्माण/रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं में सेवा के दौरान, अचयन पद के लिए उपयुक्तता परीक्षा पहले ही उतीर्ण कर ली हो, उन्हें ओपन लाइन पर ऐसी परीक्षाओं में बैठने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बारी आने पर उनकी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किया जा सकता है। बहरहाल, यह रियायत केवल ऐसे तुलनात्मक व्यवसायों पर लागू होती है, जिनमें किसी व्यक्ति का चालू लाइन पर धारणाधिकार रखा जाता है और जिस ग्रेड में धारणाधिकार रखा गया हो, उससे केवल एक उच्चतर ग्रेड पर लागू होगी।

(रेलवे बोर्ड को दि. 21.2.1976, 4.7.1976 व 29.11.1977 के पत्र सं.ई(एनजी)1-75/पीएम 1/266)

13. **पदोन्नति पाठ्यक्रम:-**

13.1 रेलें अपेक्षित पदोन्नति पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकती है, जिसमें उत्तीर्ण होना किसी संवर्ग में आगे पदोन्नति के लिए पूर्व शर्त होगी।

13.2 जब कर्मचारियों को पदोन्नति पाठ्यक्रम के लिए बुक किया जाता है तब उन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जाना चाहिए।

13.3 निर्धारित पदोन्नति पाठ्यक्रम उतीर्ण करने के मामले में कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए।

13.4 उन पदों के मामले में, जिन पर पदोन्नति के लिए 'पदोन्नति पाठ्यक्रम' पूर्व अपेक्षित शर्त के रूप में निर्धारित किया गया है, प्रशासन के खर्च पर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए कर्मचारी को

तीन अवसरों का लाभ उठाने की अनुमति दी जाए। इससे अधिक अवसरों की अनुमति, यदि दी जाए तो कर्मचारी के अपने खर्च पर होनी चाहिए।
(दि. 05.12.73 का पत्र सं.ई(एनजी)1/73/पीएम 1/196, दि. 31.05.77 का पत्र सं.ई(एनजी)1/76/पीएम 1/219 और दि. 27.04.85 (आरबीई 124/1985) का पत्र सं.ई(एनजी)1/85/पीएम 1/4)

14. उन रेल कर्मचारियों, जो निलंबनाधीन हैं या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही/अभियोग शुरू किया गया है या जिनके आचरण की जांच की जा रही है, की पदोन्नति के मामले में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया और दिशा-निर्देश रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित पत्रों में अंतर्विष्ट है, जिनका संदर्भ दिया जा सकता है:

(i) ई (डी एंड ए) 1992/आरजी6-149(ए) दिनांक 21.01.1993
(ii) ई (डी एंड ए) 2001/आरजी6-39(पार्ट) दिनांक 17.07.2007
(iii) ई (डी एंड ए) 2003/आरजी6-14 दिनांक 29.07.2003
(iv) ई (डी एंड ए) 2003/आरजी6-15 दिनांक 07.05.2004
(v) ई (डी एंड ए) 2005/आरजी6-5 दिनांक 25.06.2005
(vi) ई (डी एंड ए) 2004/आरजी6-52 दिनांक 22.02.2005
(vii) ई (डी एंड ए) 2004/आरजी6-37 दिनांक 29.07.2005

15. पदोन्नति से संबंधित 'अ.जा./अ.ज.जा. हेतु आरक्षण संबंधी पुस्तिका' में अंतर्विष्ट अनुदेश, जहां-कहीं आवश्यक पाए जाएंगे, लागू होंगे।

16. **सामान्य:**

(क) इस परिपत्र का उल्लेख करते समय, सही मूल्यांकन के लिए इसमें उल्लिखित मूल पत्रों को पढ़ा जाए। यह परिपत्र अब तक जारी किए गए अनुदेशों का संकलन मात्र है और इसे मूल परिपत्रों के बदले नहीं समझा जाना चाहिए। संदेह की स्थिति में, मूल परिपत्र को प्रामाणिक मानकर उस पर ही भरोसा किया जाए।
(ख) जब तक संबंधित परिपत्र में विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, मूल परिपत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेश उनके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। पुराने मामलों पर कार्रवाई करने के लिए, संबद्ध समय पर लागू अनुदेशों का अवलोकन किया जाए; और
(ग) इस समेकित परिपत्र को तैयार करते समय, यदि इस विषय पर किसी परिपत्र को, जिसका अधिक्रमण नहीं किया गया है, ध्यान में न लिया गया हो, तो गलती से छूट गए उस पुराने परिपत्र को ही वैध तथा प्रभावी माना जाए। ऐसे छूट गए परिपत्र को, यदि कोई हो, रेलवे बोर्ड के संज्ञान में लाया जाए।

डी जोसेफ

(डी. जोसेफ)
संयुक्त निदेशक/स्थापना (अराज.)
रेलवे बोर्ड

यह समेकन निम्नलिखित परिपत्रों से किया गया है:

1. ई.48/आरसी1/18/3 दि. 21.11.1953 (मद 2),
2. ई.55/पीएम1/19/3 दिनांक 11.06.1955
3. ई(56)/पीएम1/12/3 दि. 23.03.56
4. ई(एनजी)56/पीएम 1/36 दिनांक 22.01.1960
5. ई(एनजी)54/पीएम/1/35 दि. 10.10.60, 13.4.61, 3.10.61
6. ई(एनजी)64/पीएम1/66 दिनांक 21.01.1965
7. ई(एनजी)64/पीएम1/66 दिनांक 14.10.1966 व 04.05.1969
8. ई(एनजी)63/पीएम1/43 दिनांक 06.09.1963
9. ई(एनजी)63/पीएम1/82 दिनांक 15/17.09.1964
10. ई(डी एंड ए)65 आरजी 6-24 दि. 9.6.65
11. ई(डी एंड ए)61 आरजी 6-20 दि. 30.5.66
12. ई(डी एंड ए)65 आरजी 6-24 दि. 20.11.66
13. ई(एनजी)66/पीएम/1/98 दि. 18.2.67, 13.10.67, 28.7.70
14. ई(एनजी)66/पीएम/1/98 दि. 28.7.70
15. ई(एनजी)1/71/पीएम1/106 दिनांक 15.12.1971
16. ई(एनजी)-1/73/पीएम/1/214 दि. 8.11.1973
17. सं.ई(एनजी)1/73/पीएम 1/196 दि. 05.12.73
18. ई(एनजी)-1/72/पीएम/1/55 दि. 29.1.1974
19. ई(एनजी)1/73/पीएम1/120 दिनांक 2.2.1974
20. ई(एनजी)1/73/पीएम1/222 दिनांक 23.2.1974
21. ई(एनजी)1/73/पीएम1/120 दिनांक 2.2.1974, 4.9.74 व 11.9.74
22. सं.ई(एनजी)1-75/पीएम 1/266 दि. 21.2.1976, 4.7.1976 व 29.11.1977
23. सं.ई(एनजी)1/76/पीएम 1/219 दि. 31.05.77
24. ई(एनजी)1/76/पीएम1/90 दिनांक 22.9.1978
25. ई(एनजी)1/79/पीएम1/105 दिनांक 26.4.1979
26. ई(एनजी)-1/76/पीएम/1/21 दि. 15.1.1980
27. ई(एनजी)-1/76/पीएम/1/122 दि. 26.6.1980
28. ई(एनजी)1/80/पीएम1/133 दिनांक 5.7.1980
29. ई(एनजी)1/80/पीएम1/125 दिनांक 11/14.8.1980
30. ई(एनजी)1/80/पीएम1/133 दिनांक 5.7.1980
31. ई(एनजी)1/79/पीएम1/147 दिनांक 31.1.1981
32. ई(एनजी)-1/82/पीएम/1/68 दि. 28.4.1982
33. सं.ई(एनजी)।/75/पीएम1/44, दिनांक 13.11.1985
34. ई(एनजी)1/81/पीएम1/221 दिनांक 28.6.1982
35. ई(एनजी)-1/75/पीएम/1/44 दि. 22.9.1982
36. ई(एनजी)-1/76/पीएम/1/21 दि. 02.02.1983
37. सं.ई(एनजी)।/75/पीएम1/44 दि. 26.05.1984
38. ई(डी एंड ए)85 आरजी 6-9 दि. 20.4.1985

39. सं.ई(एनजी)1/85/पीएम 1/4 दि. 27.04.85 (आरबीई 124/1985)
40. सं.ई(एनजी)1/85/पीएम5/3 दिनांक 28.8.1985
41. सं.ई(एनजी)I/85/पीएम1/14 दिनांक (आरएईसी-78) 13.11.1985 (आरबीई 296/1985)
42. सं.ई(एनजी)I/85/पीएम1/13 (आरआरसी) दिनांक 19.02.1987 (आरबीई 28/1987)
43. सं.ई(एनजी)1/87/पीएम5/2 दिनांक 21.8.1987
44. सं.ई(एनजी)I/85/पीएम1/13 दिनांक 4.11.1987
45. ई(एनजी)-1/87/पीएम/1/21 दि. 14.12.1987 (आरबीई 307/1987)
46. हिंदी-87/ओएल-1/10/3 दिनांक 3.11.1988
47. सं.ई(एनजी)I/85/पीएम1/13 दिनांक 23.3.1989 (आरबीई 83/1989)
48. ई(एनजी)1/88/पीएम1/10 दिनांक 14.12.1989 (आरबीई 309/1989)
49. ई(एनजी)1/88/पीएम1/6 दिनांक 19.12.1989 (आरबीई 311/1989)
50. सं.ई(एनजी)I/85/पीएम1/13 दिनांक 13.2.1990 (आरबीई 20/1990)
51. ई(एनजी)-1/90/पीएम/1/36 दि. 19.12.1990 (आरबीई 236/1990)
52. ई (डी एंड ए) 1992/आरजी6-149(ए) दिनांक 21.01.1993
53. ई(एनजी)-1/97/पीएम/1/31 दि. 17.2.1998
54. ई (डी एंड ए) 2001/आरजी6-39(पार्ट) दिनांक 17.07.2007
55. ई (डी एंड ए) 2003/आरजी6-14 दिनांक 29.07.2003
56. ई (डी एंड ए) 2003/आरजी6-15 दिनांक 07.05.2004
57. ई (डी एंड ए) 2005/आरजी6-5 दिनांक 25.06.2005
58. ई (डी एंड ए) 2004/आरजी6-52 दिनांक 22.02.2005
59. ई (डी एंड ए) 2004/आरजी6-37 दिनांक 29.07.2005
60. ई(एनजी)-1/2018/पीएम/1/4 दि. 14.12.2018 एवं 14.06.2019